रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012020-215658
CG-DL-E-23012020-215658

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2020/माघ 2, 1941
No. 23] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020/MAGHA 2, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2020

मामला सं. (ओआई- 30/2019)

विषय : टर्की तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से सोडा ऐश के आयातों के संबंध में पाटनरोधी मूल जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/39/2019-डीजीएडी.–1.—मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मैसर्स आरएसपीएल लिमिटेड और मैसर्स जीएचसीएल लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, सोडा ऐश (जिसे यहां आगे टर्की तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "संबद्ध सामान" अथवा विशेष रूप से "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मूल जांच के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन पत्र दायर किया है।

2. आवेदकों ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति के खतरे का आरोप लगाया है और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद डायसोडियम कार्बोनेट है जिसे आम तौर पर रासायनिक सूत्र Na^2CO^3 वाले "सोडा ऐश" के रूप में जाना जाता है।

4. सोडा ऐश एक सफेद, क्रिस्टलीन, जल में घुलनशील सामग्री है। भारतीय उत्पादकों द्वारा सोडा ऐश का उत्पादन दो रूपों – लाइट सोडा ऐश और डैंस सोडा ऐश के रूप में किया जाता है। इन दोनों प्रकारों में अंतर भारी घनत्व का होता है। इसके अतिरिक्त, सोडा ऐश या तो प्राकृतिक सोडा ऐश होता है या सिंथेटिक सोडा ऐश, दोनों उत्पाद अनिवार्य रूप से समान हैं। वर्तमान जांच में सोडा ऐश के सभी रूप शामिल हैं।

5. सोडा ऐश डिटर्जेंट, साबुन, क्लीनिंग मिश्रणों, सोडियम आधारित रसायनों, फ्लॉट ग्लास, कंटेनर और विशेष रूप से शीशों, सिलिकेट और अन्य औद्योगिक सामग्री के विनिर्माण में एक अनिवार्य घटक होता है। इसका प्रयोग टेक्सटाइल, पेपर, धात्विक उद्योगों और डिसेलिनेशन संयंत्रों में भी व्यापक रूप से किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क उप शीर्ष 2836.20 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

7. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध सामान जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। पाटित आयातों की तकनीकी विशिष्टियों, गुणवत्ता, प्रकार्य और अंतिम प्रयोगों तथा घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध सामानों और आवेदकों द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए पाटनरोधी नियमावली के तहत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादक संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग

8. यह आवेदन पत्र मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मैसर्स आरएसपीएल लिमिटेड और मैसर्स जीएचसीएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने संबद्ध देशों से न तो संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि यह आवेदन पत्र नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार "घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से" किया गया है।

घ. आरोपित पाटन का आधार

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री के विशिष्ट लेन-देन उपलब्ध नहीं कराये हैं, परंतु सहायक स्रोत सूचना अर्थात आईएचआईएस बाजार के आधार पर घरेलू कीमतों को साक्ष्य बनाया है। प्राधिकारी ने आईएचएस मार्केट में प्रकाशितः संबद्ध देशों में विद्यमान उत्पाद की खपत के लिए कीमत निर्धारित करने हेतु अप्रैल, 2019 से नवंबर, 2019 से संबंधित ग्लोबल सोडा ऐश मंथली इश्यू की कीमतों के आधार पर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

10. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के नवीनतम उपलब्ध लेन-देन वार और प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से निर्यात कीमत का परिकलन किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, सार-संभाल प्रभारों और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं।

11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के संबंध में पाटन मार्जिन दर्शाती है जिससे वह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है।

ङ. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

12. घरेलू उद्योग को क्षति के मूल्यांकन के लिए आवेदकों द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनीकरण प्रभाव, भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा पूर्ण दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि उनके निष्पादन पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के

परिणामस्वरूप उत्पादन, बिक्री और परिणामस्वरूप लाभ में गिरावट, नियोजित पूंजी पर आय तथा नकदी प्रवाह के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के खतरे और वास्तविक क्षति का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

च. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग द्वारा और घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत पूर्ण लिखित आवेदन पत्र के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और उसका खतरा दोनों, और उस आरोपित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी संतुष्ट होने पर एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाती है और जो घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

छ. संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच में संबद्ध देश टर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

ज. जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि (जिसे यहां आगे पीओआई भी कहा गया है) 01 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 माह) है। प्राधिकारी ने एकदम हाल के आंकड़ों के संबंध में विश्लेषण करने के लिए आवेदक से आगे की 3 माह (01.10.2019 से 31.12.2019 तक) की अवधि के लिए अद्यतन आंकड़े दायर करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने 8 माह अर्थात अप्रैल, 2019 से नवंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़े दायर किये जिनका प्रयोग पाटन तथा क्षति की जांच के लिए किया गया है। तथापि, वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 होगी। क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017; अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018; अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019 और जांच की अवधि शामिल होगी। क्षति के खतरे के लिए जांच की अवधि के बाद की तारीख की भी जांच की जाएगी।

झ. प्रक्रिया

16. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांत अपनाए जाएंगे।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, विचाराधीन उत्पादों से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें।

18. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाएं:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

ट. समय-सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह में प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:

i. गोपनीय चिन्हित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)
ii. अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।

23. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप मे स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रुपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार (4) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।

24. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

25. अगोपनीय रूपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

26. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।

27. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

28. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

ढ. असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2020

Case No. (OI - 30/2019)

Subject: Initiation of Anti-Dumping Original Investigation concerning imports of "Soda Ash" from Turkey and USA.

F. No. 6/39/2019-DGTR.–1. M/s. DCW Limited, M/s RSPL Limited and M/s. GHCL Limited (hereinafter also referred to as "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for Original Investigation of Anti-dumping Duty concerning imports of "Soda Ash" (hereinafter also referred to as "subject goods" or specifically as "product under consideration" or "PUC", originating in or exported from Turkey and U.S.A. (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The Applicants have alleged material injury and threat of material injury to the Domestic Industry due to dumped imports from the subject countries and have requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. <u>Product under consideration</u>

3. The product under consideration is Disodium Carbonate, popularly known as "Soda Ash", having chemical formula Na_2CO_3.

4. Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. Soda Ash is produced in two forms by the Indian Producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. Further, Soda Ash can be either natural soda ash or synthetic soda ash, both products are essentially the same. Present investigation covers all forms of Soda Ash.

5. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants.

6. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 2836.20. However, the customs classification is indicative only and is not binding on the scope of this investigation.

B. <u>Like Article</u>

7. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences

either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicants. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. The subject goods produced by the Applicants in India are, therefore being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Domestic Industry

8. The Application has been filed by M/s. DCW Limited, M/s. RSPL Limited and M/s. GHCL Limited. The Applicants have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the Product Under Consideration in India. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

D. Basis of Alleged Dumping

9. The Authority notes that the Applicants have not provided specific transactions of domestic sales of the PUC in the subject countries but have evidenced the domestic prices on the basis of secondary source information i.e. IHIS market. The Authority has computed Normal Value for the subject countries on the basis of prices published in the IHS Market: Global Soda Ash Monthly Issues pertaining to April 19 to Nov 19 to determine price meant for consumption of the product prevailing in the subject countries.

10. The Authority has computed the export price from the subject countries as per the latest available DGCI&S transaction wise and published data. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, port expenses, commission, handling charges and bank charges.

11. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries, thereby, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

E. Injury and Causal link

12. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicants have claimed that their performance have been adversely impacted in respect of production, sales and consequent decline in profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of dumped imports from subject countries and there is sufficient prima facie evidence of the threat of material injury and material injury being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

F. Initiation of Anti-Dumping Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the Product Under Consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry both material and threat thereof and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

G. Subject Countries

14. The subject countries in the present investigation are Turkey and USA.

H. Period of Investigation

15. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as "POI") proposed by the Domestic Industry in the present investigation is 01st April, 2019 to 30th September, 2019 (6 months). The authority requested the applicant to file updated data for a further period of 3 months (01.10.2019 to 31.12.2019) to undertake analysis on the most recent data. The Domestic Industry filed data for the period of 8 months i.e. April19-Nov19 which has been used for dumping and Injury examination. However, Period of Investigation in the present Investigation will be 1st April 2019-31st December 2019. The injury investigation period will cover the periods April 2016-March 2017, April 2017-March 2018, April 2018-March 2019 and the POI. For threat of injury, the date beyond the POI would also be examined.

I. Procedure

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of information

17. The known exporters in the subject countries and their government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the Product Under Consideration and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi-110001

19. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time-Limit

20. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

29. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

N. Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.23 22:48:43 +05'30'